पंचायत संचालनालय, छत्तीसगढ़

36-C-II, ब्लॉक–2 द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर

दूरभाष क्रमांक–0771-2221480, फैक्स क्रमांक–0771-2221141,e-mail- dp.cg@nic.in

// आदेश //

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक - 18/03/2020

क्रमांक/पंचा./स्था./2020/156 –छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा आयोजित संयुक्त भर्ती परीक्षा (DEAG18) के परीक्षा परिणाम अनुसार पंचायत संचालनालय, छ.ग. को आंबटित अभ्यर्थियों की मेरिट सूची के आधार पर निम्नलिखित पात्र एवं चयनित उम्मीदवारों को पंचायत संचालनालय (मुख्यालय) एवं अधीनस्थ उपसंचालक, पंचायत, जिला कार्यालय, छ.ग. में स्वीकृत डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के पद पर प्रचलित छ.ग.वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 के वेतन संरचना अनुसार वेतन मैट्रिक्स, लेवल–06 (25300–80500) में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर अस्थायी रूप से निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियुक्ति प्रदान करते हुए उनके नाम के सम्मुख दर्शित कार्यालय में एतद् द्वारा पदस्थ किया जाता है :–

क्र.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति/माता का नाम	नियुक्ति का प्रवर्ग	पदस्थापना कार्यालय का नाम
1	सुश्री देवी गौरी	श्री बलराम प्रसाद तिवारी	अना.(महिला)	उपसंचालक पंचायत, जिला–बेमेतरा
2	श्री गोपेश्वर प्रसाद	श्री अम्बिका राम	अपिव (भू.पू.सै.)	उपसंचालक पंचायत, जिला–बिलासपुर
3	श्री शैलेन्द्र कुमार गुप्ता	श्री राम प्रसाद गुप्ता	अना.(भू.पू.सै.)	उपसंचालक पंचायत, जिला– राजनांदगाँव

2/ नियुक्ति में आरक्षण नियमों का पूर्णतः पालन किया गया है।

3/ चयनित अभ्यर्थियों का पारस्परिक वरिष्ठता छ.ग.व्यापंम द्वारा जारी प्रावीण्य सूची के क्रम पर निर्धारित की जाकर वरिष्ठता सूची में दर्शाई जावेगी।

4/ **नियुक्ति की (विहित) शर्ते :–**

(1) यह नियुक्ति उम्मीदवार के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर किया जाता है। सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण न होने पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा परिवीक्षा अवधि एक वर्ष तक बढ़ाई जा सकेगी।

(2) यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है तथा छ.ग. शासकीय सेवक (अस्थाई तथा अर्द्धस्थाई) सेवा नियम 1960 के नियम 12 के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवा किसी भी समय किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेंगी। संबंधित व्यक्ति द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान किये बिना शासकीय सेवा छोड़ने पर उक्त शर्तों के अंतर्गत एक माह के वेतन के बराबर देय राशि संबंधित व्यक्ति से भू–राजस्व की बकाया की भाँति वसूली योग्य होगी।

(3) उपर्युक्त नियुक्ति अन्य आवश्यक कार्यवाही की पूर्ति की अपेक्षा में की जाती है। यदि उम्मीदवारों ने अभी तक जो जानकारी दी है, वह असत्य पाई जाती है तो भी उनकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जायेगी।

(4) पदभार ग्रहण करते समय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

क्रमशः..............................

(5) पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन के दौरान शासकीय सेवा के योग्य नहीं पाये जाने की स्थिति में सेवा से पृथक किया जावेगा।

(6) उम्मीदवारों को उपस्थिति के समय निर्धारित शैक्षणिक योग्यता संबंधी समस्त अंकसूची प्रमाण–पत्र, आयु की पुष्टि हेतु हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी की अंकसूची/प्रमाण–पत्र, छत्तीसगढ़ मूल निवासी होने का सक्षम अधिकारी का प्रमाण–पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण–पत्र तथा अन्य आवश्यक मूल प्रमाण–पत्र सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य है । प्रमाण–पत्रों के अभाव में उपस्थिति मान्य नहीं होगी । मूल प्रमाण पत्रों के साथ उसकी एक–एक सुस्पष्ट पठनीय छायाप्रति भी प्रस्तुत की जावे। छायाप्रतियों के सत्यापन के पश्चात् मूल प्रमाण–पत्र तत्काल वापस कर दिये जावेंगे।

(7) नियुक्ति आदेश जारी होने की तिथि से 15 दिवस के भीतर पदभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा यह नियुक्ति स्वमेव समाप्त मानी जावेगी।

(एस.प्रकाश)
भा.प्र.से. 18/3
संचालक
पंचायत संचालनालय, छ.ग.
नवा रायपुर, अटल नगर

पृ.क्रं./पंचा./स्था./2020/157 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 18/03/2020

प्रतिलिपि :–

1. विशेष सहायक मान.मंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
2. स्टॉफ ऑफिसर, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
3. संभागायुक्त, दुर्ग एवं बिलासपुर छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ।
4. कलेक्टर जिला– बेमेतरा, राजनांदगाँव एवं बिलासपुर छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बेमेतरा, राजनांदगाँव एवं बिलासपुर छत्तीसगढ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. जिला कोषालय अधिकारी बेमेतरा, राजनांदगाँव एवं बिलासपुर छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. उप संचालक पंचायत, जिला कार्यालय बेमेतरा, राजनांदगाँव एवं बिलासपुर छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला बेमेतरा, राजनांदगाँव एवं बिलासपुर छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. सर्व संबंधित श्री...को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

संचालक
पंचायत संचालनालय, छ.ग.
नवा रायपुर, अटल नगर 18/3